तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27-9-17	वकील वादी उपस्थित। वादी साक्ष्य में वादी का मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश हुआ। प्रदर्श अंकित किये गये। साक्ष्य वादी में गवाह रामजीलाल व गिरधारी के लिखित शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 29-9-17 को पेश हो। Gw-	प्रभु दयाल रामजीलाल नि. गिरधारी
29-9-17	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित/ पीठा. अधिकारी ... अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4-10-17 को पेश हो। [signature]	
4-10-17	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित/ पीठा. अधिकारी ... अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-10-17 को पेश हो। Vimla	
6-10-17	पत्रावली ... पीठा. ... उपस्थित/ मीटिंग ... व्यस्त/ पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-10-17 को पेश हो। Vimla	
10-10-17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 380, 381, 382 से 386 कुल किता 7 कुल रकबा 4.62 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसके 13/462 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम व शेष हिस्से Gr-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस भूमि में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिक रूप से बटंवारा नहीं हुआ है। वर्तमान समय में संयुक्त भूमि को समुचित विकास एंव काश्त कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त भूमि को पक्षकारान् ने मौके पर अलग-अलग बांटकर अलग-अलग काश्त करते आ रहे है। जिसका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी खसरा नम्बर 386 में से उत्तरी तरफ 0.13 हैक्टर भूमि जो वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंगलाल स्याही से दर्शित को काश्त करता आ रहा है। यही भूमि मौके पर वादी के कब्जे काश्त व बंटवारे में आई हुई है। जिसके अलग से बट्टा नम्बर डाले जाकर वादी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने का वकील वादी ने निवेदन किया है। हमने वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व साक्ष्य वादी में पेश हुए शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसमें पक्षकारान् के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है एंव साक्ष्य वादी में पेश गवाहान् ने भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। अतः वकील वादी द्वारा पेश वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.13 हैक्टर उत्तरी तरफ का जिसका नक्शा बरंग लाल वादी द्वारा वादपत्र के संलग्न पेश किया है का वादी को अलग से बट्टा नम्बर 386/1 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि वादी को बंटवारे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	में दी जाकर बाई मीट्स एंव बाउण्ड्स बंटवारा किया जावे तथा अलग से लगान कायम किया जावें। संलग्न नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व बंटवारे की भूमि के कब्जा काश्त की भूमि में कोई मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी अनुसार डिक्री मूर्तिब हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	